न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 54/21 GCMS NO 2021/99

1. घनश्याम
2. धर्मसिह
3. जगदीश पिसरान किशोरी
4. प्रकाशी देवी पत्नि ओम सिह
5. प्रधान सिह
6. राकेश

विष्णु भगवान पिसरान औम सिह समस्त जातियान मीना निवासीयान बहादुरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. कालूराम पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी बहादुरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. राजकीय प्राथमिक विधालय किशोरी की ढाणी ,बहादुरपुर जरिये प्रधानाचार्य रा.प्रा.वि.किशोरी की ढाणी तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 111/20 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.1.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सुनील जिन्दल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री कृष्ण मित्तल

दिनांक 18.7.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.1.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 संख्या 1 कालूराम पुत्र रामसहाय मीना द्वारा दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बहादुरपुर की आराजी ख0न0 913/0.06,1078/0.05, 173/0.03, 174/0.03,735/0.04, 736/0.02, 736/1832/0.01, 737/0.03, 1080/0.23, 1081/0.23, 1083/0.03, 1084/0.16, 1412/0.16, 1413/0.09, 1653/0.47, 482/1760/0.05,976/0.35, 1082/0.14, 1082/1763/0.07 है0 मे वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम है। हिस्सानुसार मौके पर बहामी बंटवारा कर रखा है। विधिवत बंटवारा नही होने से लगान व कब्जे को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिए तकासमा कराना आवश्यक है। अतः उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे वादी के हिस्से की 1/2 का अलग खाता कायम कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से एवं कब्जा काश्त मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात के संबंध मे तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के विरूद्व पेश किया गया था। जिसमे अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम मे दर्ज तथ्यो पर एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो की पालना नही कर खिलाफ कानून जाकर दिनांक 7.1.21 को प्राथमिक डिक्री जारी करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पो0/वादी न0 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण न0 1 ता 7 के जबाब दावे के अनुसार तनकीयात कायम नही कर सीधे ही निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट द्वारा वादी/रेस्पो0 के वाद पत्र को अस्वीकार किया गया, इसलिए अदालत मातहत द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम नही कर खिलाफ कानून प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो की अवहेलना कर निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। इसलिए अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय व डिक्री मे वकील उभयपक्ष की सहमति बताकर तकासमा करने बाबत तथ्य दर्ज किया है जबकि प्रकरण की आदेशिका मे कही भी उभयपक्ष अधिवक्ता एवं पक्षकारो की सहमति बाबत ना तो हस्ताक्षर है ना ही कोई प्रार्थना पत्र है तथा अपीलाटगण द्वारा अपने जबाब के मद न0 10 मे स्पष्ट उल्लेख किया कि विवादग्रस्त भूमि की अच्छी मे से अच्छी एवं खराब मे से खराब भूमि का बंटवारा किया जावे, लेकिन अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नही कर माननीय राजस्व मंडल अजमेर के नियमो की अनदेखी कर मुताबिक हिस्सा व कब्जा बंटवारा करने का निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो विधि विरूद्व होने से अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण हाजा मे ना तो पक्षकारो की कब्जे व अपने अभिवचनो को साबित करने बाबत पक्षकारान एवं उनके गवाहो की साक्ष्य लिए बिना ही गैर कानूनी रूप से कब्जे के सबंध मे पत्रावली पर साक्ष्य नही होने के बाबजूद भी मनमाने तरीके से निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है इसलिए अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पक्षकारान की साक्ष्य लेकर राजस्व मंडल के नियमो की पालना कर विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

का मीटस एवं बाउन्डस के आधार पर निर्णय पारित करने एवं उभयपक्ष का साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात मे रेस्पो/वादी का हिस्सा 1/2 एवं शेष हिस्सा अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड होने के कारण मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ था परन्तु विधिवत बंटवारा नही होने के कारण लगान व कब्जे के संबंध मे आपस मे विवाद उत्पन्न होने की बजह से अधिनस्थ न्यायालय मे तकासमा हेतु वाद पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है यहॉ यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय मे उभयपक्ष द्वारा सहमति दिये जाने के कारण ही तनकीयात कायम नही की गई तथा सहमति के आधार पर विवादित आराजीयात के बाबत प्राथमिक डिक्री पारित कर विवादित आराजीयात की बंटवारा स्कीम प्राप्त करने हेतु तहसीलदार बालघाट को मौका कमिश्नर नियुक्त कर जमाबंदी मे दर्ज हिस्सा अनुसार व कब्जा अनुसार बंटवारा स्कीम प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। जो उभयपक्ष की सहमति के आधार पर ही किया गया है। इस प्रकार जब उभयपक्ष द्वारा सहमति दी गई है तो सहमति के विपरीत अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट को कोई अधिकार नही है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रासिडिग स्थगित हो गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा विधि विरूद्व रूप से अपील प्रस्तुत की गई है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 913/0.06,1078/0.05, 173/0.03, 174/0.03,735/0.04, 736/0.02, 736/1832/0.01, 737/0.03, 1080/0.23, 1081/0.23, 1083/0.03, 1084/0.16, 1412/0.16, 1413/0.09, 1653/0.47, 482/1760/0.05,976/0.35, 1082/0.14, 1082/1763/0.07 है0 मे वादी हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम है। उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे तकासमा हेतु वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय मे उभयपक्ष द्वारा सहमति दिये जाने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर विवादित आराजीयात की जमाबंदी मे हिस्से अनुसार एवं कब्जे अनुसार बंटवारा स्कीम तलब करने हेतु तहसीलदार बालघाट को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे किसी प्रकार की सहमति प्रदान नही की गई है। क्योकि यदि सहमति दी जाती तो काउन्टर क्लेम ही क्यो पेश किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन [illegible] के बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली मे शामिल नही है ना ही सहम[illegible] स्व[illegible] अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर कोई हस्ताक्षर है। अप[illegible] सहमत है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को विवादित आराजीयात [illegible] बंटवारा स्कीम मीटस एण्ड बाउन्डस के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:36 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार तथा कब्जे अनुसार प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0नं0 111/20 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.1.2021 को को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजीयात की बंटवारा स्कीम मीटस एण्ड बाउन्डस अनुसार , जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार तथा कब्जे अनुसार प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 11.8.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.7.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:22:36 IST
Reason: SelfAttested